

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 70/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. राम चन्द पुत्र नेमाराम जाति माली निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक - 21/03/2025



अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव सुरायता पटवार हल्का सुरायता तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

सम्पति "ए" वर्तमान खाता सं0 721 खसरा नंबर 924 रकबा 0.6700 हैक्टर
 सम्पति "बी" वर्तमान खाता सं0 737 खसरा नंबर 929 रकबा 0.4600 हैक्टर
 सम्पति "सी" वर्तमान खाता सं0 735 खसरा नंबर 922 रकबा 1.9700 हैक्टर,
 सम्पति "डी" वर्तमान खाता सं0 736 खसरा नंबर 921 रकबा 1.8000 हैक्टर की हैं। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा पेन ऑफ स्लिफ से सहवन से बिना सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों का अवलोकन किये प्रार्थी का नाम राम चन्द के स्थान पर रामचन्द्र अंकित कर दिया गया जो कि सद्भाविक रूप से सहवन से दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राम चन्द अंकित है, जिसको दुरुस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं। राजस्थान राज पत्र साधारण के 13/03/2025 के अंक 50, पेज संख्या 21335 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत शपथ पत्र प्रकाशित किया जा चुका है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी, डी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर राम चन्द अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सुरायता में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 4 का जबाब प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी,
 सोजत (राज.)

स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सावित करना तथा पैरा सं० 05, 06 का कानूनी होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर राम चन्द दुरुस्त इन्द्राज किये जाने की ईशतदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 13/03/2025 के अंक 50, पेज संख्या 21335 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामचन्द्र नहीं होकर राम चन्द होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज रामचन्द्र के स्थान पर सही व वास्तविक नाम राम चन्द दुरुस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।



—: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पत्ति ए, बी, सी, डी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर राम चन्द दुरुस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 26/3/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत